जो इस हुक्म
की तामील
जारी हुए

वादी बलवन्त सिंह पंवार पुत्र कृष्ण सिंह जाति बावरी निवासी 59 एफ बी, तहसील श्रीकरणपुर ने वादपत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। उक्त प्रकरण के संबध में रिपोर्ट हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को पत्र लिखा जावे। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08/12/22 को पेश हो।

8/12/22

वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में रिपोर्ट TDR KDR प्राप्त हो चुकी है। वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादी का वादपत्र भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति TDR KDR को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 217/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. बलवन्त सिंह पंवार पुत्र कृष्ण सिंह जाति बावरी आयु 42 वर्ष निवासी 59 एफ बी, तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

उपस्थितः 1.श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी तारीख रजूः- 05.12.2022

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय--

दिनांक : 08.12.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 59 एफ बी, पटवार हल्का मुकन ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता सख्या 45/45 में क्रमांक - 7 पर वादी के नाम 1.776 हैक्टर नहरी कृषि भूमि संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादी को उक्त वर्णित कृषि भूमि जरिए वसीयत प्राप्त हुयी है, जिसमें वादी का नाम बलवन्त सिंह पुत्र कृष्ण सिंह जाति बावरी निवासी 59 एफ बी तहसील श्री करणपुर दर्ज है, लेकिन वादी के समस्त पहचान संबंधी आधार कार्ड, 10 वीं कक्षा की मार्कशीट, अनुज्ञा पत्र, बैंक खाता मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजो में वादी का नाम बलवन्त सिंह पंवार पुत्र कृष्ण सिंह नाम अंकित है। वादी उक्त वर्णित खाता में बलवन्त सिंह के स्थान पर बलवन्त सिंह पंवार नाम अंकित करवाना चाहता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो। नाम के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक भी जारी की हुयी है। वादी ने पूर्व में उक्त नाम संशोधन करवाने हेतु तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश करने पर, बाद जांच पटवारी ने तथ्यो की जांच कर, रिपोर्ट तहसील कार्यालय में प्रेषित करने पर उक्त मूल रिपोर्ट माननीय न्यायालय में तहसीलदार महोदय, द्वारा प्रस्तुत करने पर वादी को वाद पत्र पेश घोषणात्मक अनुतोष प्राप्त करने हेतु हिदायत दी गई। इस कारण वादी माननीय में उक्त वाद पत्र पेश कर रहा। राजस्व अभिलेख में वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण, वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी अपने वास्तविक नाम की घोषणात्मक का अनुतोष प्राप्त करने के लिए वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। इस कारण वाद-हेतुक की उत्पति से वाद पत्र समयावधि के भीतर, प्रस्तुत किया जा रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] डिक्री सादर फरमाया जावे कि चक 59 एफ बी, पटवार हल्का मुकन [illegible] श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता सख्या 45/45 में [illegible] बलवन्त सिंह पुत्र कृष्ण सिंह जाति बावरी निवासी 59 [illegible] स्थान पर ब[illegible] सिंह पंवार पुत्र कृष्ण सिंह जाति बावरी निवासी 59 एफ बी [illegible] उपरोक्त नाम की डिक्री पारित की जावे एवं उपरोक्तानुसार नाम संशोधन करने हेतु [illegible]सीलदार राजस्व, श्री करणपुर को आदेश दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:04 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 6130 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अनुसार चक 59 एफ बी की जमाबन्दी के खाता संख्या 45/45 में प्रार्थी के नाम से 1776/8881 हिस्सा दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम बलवन्त सिंह पुत्र कृष्ण सिंह अंकित है। प्रार्थी के अन्य कागजात में नाम बलवन्त सिंह पंवार अंकित है। प्रार्थी अपना नाम बलवन्त सिंह पंवार पुत्र कृष्ण सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 59 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 45/45 की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति, कक्षा 12 वीं की अंकतालिका की प्रति, जाति प्रमाण पत्र की प्रति, मूल निवास की प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत 2 एफ सी मुकन प्रमाण पत्र की प्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा चक 59 एफ बी, की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 45/45 में अंकित नाम बलवन्त सिंह पुत्र कृष्ण सिंह के स्थान पर बलवन्त सिंह पंवार पुत्र कृष्ण सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, कक्षा 12 वीं की अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, में नाम बलवन्त सिंह पंवार पुत्र कृष्ण सिंह अंकित है। रिपोर्ट तहसीदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 59 एफ बी की जमाबन्दी के खाता संख्या 45/45 में प्रार्थी के नाम से 1776/8881 हिस्सा दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम बलवन्त सिंह पुत्र कृष्ण सिंह अंकित है। प्रार्थी के अन्य कागजात में नाम बलवन्त सिंह पंवार अंकित है। प्रार्थी अपना नाम बलवन्त सिंह पंवार पुत्र कृष्ण सिंह दर्ज करवाना चाहता है। सरपंच ग्राम पंचायत 2 एफ सी मुकन के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि बलवन्त सिंह पुत्र कृष्ण सिंह व बलवन्त सिंह पंवार पुत्र कृष्ण सिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। चक 59 एफ बी के खाता संख्या 45 में बलवन्त सिंह के स्थान पर बलवन्त सिंह पंवार किया जाना उचित है। वाद वादी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत 2 एफ सी मुकन व वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर 'स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 59 एफ बी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 45/45 में क्रम संख्या 7 पर अंकित नाम बलवन्त सिंह पुत्र कृष्ण सिंह के स्थान पर बलवन्त सिंह पंवार पुत्र कृष्ण सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:04 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 08.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

बलवन्त सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत **88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट** मुकदमा नं. **217/2022**

निर्णय दिनांक :- 08.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 59 एफ बी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76' के खाता संख्या 45/45 में क्रम संख्या 7 पर अंकित नाम बलवन्त सिंह पुत्र कृष्ण सिंह के स्थान पर बलवन्त सिंह पंवार पुत्र कृष्ण सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 08.12.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक 08.12.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/540
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:29:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)